बिहार सरकार
<u>उद्योग निदेशालय</u>

पत्रांक 100/आवंटन/ पटना, दिनांक 25.01.18

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 02/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
(संलग्न तालिकानुसार)।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन–मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0002–निदेशन, विपत्र कोड–23–2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को रू0 25,01,000/– (पचीस लाख एक हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना व्यय के वहन हेतु कुल **रू0 25,01,000/– (पचीस लाख एक हजार रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन–मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0002–निदेशन, विपत्र कोड– 23–2852.80.001.0002 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 मे स्थापना व्यय वहन करने के लिए राशि का आवंटन है।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाएगा तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS का प्रतिवेदन के साथ अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2017–18 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक आवश्य भेज दें।

कृ0 पृ0 उ0

(छ) मुख्य बजट शीर्ष–2852–उद्योग–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन–मांग संख्या–23 उपशीर्ष 0002 निदेशन–विपत्र कोड–23–2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में गैर योजना (स्थाई) कार्यालयों को स्थापना व्यय वहन करने के लिए कुल राशि रू0 **25,01,000/– (पचीस लाख एक हजार रूपये)** मात्र के आवंटन के आलोक में सम्पूर्ण वर्ष के स्थापना खर्च की गणना कर ली जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश की कंडिका–11 में निहित अनुदेश का अनुपालन किया जाय। यदि आवंटन से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य एवं पदवार व्यय के साथ कारणों को दिखाते हुए शीघ्र सूचित करें।

विश्वासभाजन

25/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 100/आ0 921 पटना, दिनांक 25.01.18

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 100/आ0 921 पटना, दिनांक 25.01.18

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर अपलोड करें।

25/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।